राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/अनु.–3/मा.द/2022–23/पत्राचार

जयपुर दिनांकः 23 JUN 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय –: साधारण मिट्टी की सोर्सिंग हेतु Environmental Clearance(EC) में छूट के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 (प्रति संलग्न) के परिशिष्ट 9 में अंकित मामलों (1 से 13) में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (Environmental Clearance) की अपेक्षा नहीं होगी।

कृपया अधिसूचना में अंकित निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(के.के.शर्मा)
परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

H:\MPR 2022-23\Guideline letter\G.letter 2022.docx

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942
No. 1088] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्बाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंतःस्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टादार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

Scanned with CamScanner

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।"

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।

2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

Scanned with CamScanner

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर–2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा वंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सकें।

13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

Scanned with CamScanner